रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 2019/चैत्र 13, 1941
No. 234] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 2019/CHAITRA 13, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 281(अ).—राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004, जिनमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ड.), (च), (छ), (ज), (झ) एवं (ड) से (ब) के साथ पठित उप-धारा (1) तथा सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ईमेल: rajeshgupta.rth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 (इसके बाद मूल नियम के रूप में उल्लिखित) में नियम 3 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. राजमार्ग प्रशासन द्वारा शक्तियों का प्रयोग एवं कार्य:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा धारा 3 की उप-धारा (1) के परंतुक के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों या सीमितताओं के अध्यधीन राजमार्ग प्रशासन के रूप में कार्यकारी निकाय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

(क) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राजमार्ग प्रशासन के लिए नीतियां निर्धारित करना एवं फ्रेम वर्क का कार्यान्वयन;

(ख) अधिनियम के अध्याय V के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न प्रकार के यातायात के विनियमन के लिए सामान्य आदेश जारी करना;

(ग) विभिन्न राजमार्ग प्रशासकों के बीच विभिन्न स्तरों पर कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के आबंटन से संबंधित निर्णय;

(घ) विभिन्न सेवाओं की प्रदानगी और अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों और विनियमों के समय-समय पर प्रवर्तन के संबंध में कार्यकारी आदेश/मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को जारी करना;

(ङ) राजमार्ग प्रशासन के कार्यों की विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा एवं निगरानी किया जाना;

(च) अधिनियम और इसके नियमों के तहत सुपुर्द किए गए कोई अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति किया जाना।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा धारा 3 की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों या सीमितताओं के अध्यधीन राजमार्ग प्रशासन के रूप में कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

(क) स्थापित राजमार्ग प्रशासन का विषयगत समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना;

(ख) विभिन्न अधिकार क्षेत्र नामत: संगठन का मुख्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड तक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संबंधित संगठनों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में राजमार्ग प्रशासक नियुक्त करना।

(ग) सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में और सभी मानक चालन प्रक्रियाओं का प्रवर्तन तथा राजमार्ग प्रशासन द्वारा जारी निदेशों को निष्पादन सुनिश्चित करने के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर प्रशासकों के कार्यों की आवधिक समीक्षा करना।

(घ) समय- समय पर विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति और अधिनियम तथा नियमावली एवं नियमन के प्रावधानों के प्रवर्तन के संदर्भ में निष्पादन आदेश/ मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी करना।

(ङ) अधिनियम के अध्याय v के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की विभिन्न श्रेणियों के नियमन के लिए विशेष आदेश जारी करना।

(च) अधिनियम और उसके अतंर्गत नियमों के तहत सौंपे गए कोई अन्य कार्य और दायित्व।

(3) धारा 3 की उप धारा (1) के तहत स्थापित राजमार्ग प्रशासन के अधीक्षण के अधीन धारा 3 की उप धारा (2) के अतंर्गत स्थापित राजमार्ग प्रशासन इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग और कार्य करेगा।"

3. मूल नियमों में नियम 10 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"10. पट्टा या लाइसेंस प्रदान करने के लिए किराया या अन्य प्रभार:- (1) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विर्निदिष्ट दरों पर उस व्यक्ति, जिसे पट्टा या लाइसेंस, जो भी मामला हो, दिया गया है, के द्वारा राजमार्ग प्रशासन को किराए का भुगतान करने पर राजमार्ग भूमि का पट्टा या लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

(2) जहां राजमार्ग भूमि के पट्टे का नवीनीकरण किया गया है वहां केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर किराए का भुगतान करने पर प्रत्येक पट्टे का नवीकरण किया जाएगा।'

4. मूल नियमों में नियम 23 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"**23. धारा 38 की उप-धारा (3) के तहत शुल्क और अन्य प्रभार:-** (1) राजमार्ग प्रशासक द्वारा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर उस व्यक्ति से शुल्क प्रभारित किया जाएगा, जिसे धारा 38 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति दी गई है।

(2) जहां धारा 38 की उप-धारा (3) के तहत नवीनीकरण की अनुमति दी गई है, उस प्रत्येक नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा।"

[फा. सं. एनएच-11011/33/2019–एलए]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 20 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद 24 दिसंबर, 2007 के का. आ. सं. 2171(अ), और 28 जून, 2016 के सा.का.नि. 634(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2019

G.S.R. 281(E).—The following draft rules further to amend the Highways Administration Rules, 2004, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a), (e), (f), (g), (h), (i), and (m) to (w) of sub-section (2) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), and section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) is hereby published as required by sub-section (1) of section 50 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the Public,

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government;

The objections or suggestions to these rules be sent to the email rajeshgupta.rth@gov.in within the period specified above.

Draft Rules

1. **Short title, and commencement**.—(1) These rules may be called the Highway Administration (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Highway Administration Rules, 2004, (herein after referred to as principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3. Exercise of powers and functions by Highway Administrations**.-,-

(1) Subject to the provisions of the Act and the conditions or limitations imposed by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 3, the body, acting as the Highway Administration, shall:

a) Lay down policies and implementation framework for the Highway Administration consistent with the provisions of the Act;

b) Issue general orders for regulation of different types of traffic on National Highways under Chapter V of the Act;

c) Decide on the allocation of functions and responsibilities among different Highway Administrators at different levels;

d) Issue executive orders/ Standard Operating Procedures (SOPs) in respect of delivery of various services and enforcement of provisions of the Act and the rules & regulations from time to time;

e) Undertake periodical review and monitor the functioning of Highway Administration at different levels;

f) Any other functions and responsibilities assigned under the Act and the rules thereunder.

(2) Subject to the provisions of the Act and the conditions or limitations imposed by the Central Government under the proviso to sub-section (2) of section 3, the authority acting as the Highway Administration, shall:

a) Be subject to the overall superintendence and control of the Highway Administration established

b) Appoint Highway Administrators in respect of the National Highways entrusted to the respective organisations for different jurisdictions, namely, the Headquarter of the organisation, the States/ UTs right up to a stretch of the National Highway;

c) Undertake periodic review of the functioning of the Administrators at different levels in respect of delivery of services and ensure enforcement of all the Standard Operating Procedures and executive instructions issued by the Highway Administration.

d) Issue executive orders/Standard Operating Procedures (SOPs) in respect of delivery of various services and enforcement of provisions of the Act and the rules & regulations from time to time;

e) Issue specific orders for regulation of different classes of traffic on National Highways under Chapter V of the Act;

f) Any other functions and responsibilities assigned under the Act and the rules thereunder.

(3) Subject to the superintendence of the Highway Administration established under sub-section (1) of section 3, the Highway Administration established under sub-section (2) of section 3 shall exercise its powers and function conferred under this Act.

3. In the principal rules for rule 10, the following rule shall be substituted, namely: -

"**10. Rent or other charges for granting lease or licence.–** (1) The lease or licence of Highway land shall be granted on payment of rent to the Highway Administration by the person to whom the lease or licence, as the case may be, is given at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the lease of highway land is renewed, each renewal of the lease shall be made on payment of rent at the rates specified by the Central Government from time to time."

3. In the principal rules for rule 23, the following rule shall be substituted, namely: -

"**23. Fees and other charges under sub-section (3) of section 38.–**(1) The Highway Administration shall impose fee on the persons to whom the permission is given under sub-section (3) of section 38 at the rate specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the permission given under sub-section (3) of section 38 is renewed, each such renewal shall be made on payment of fee at the rate specified by the Central Government from time to time."

[F. No. NH-11011/33/2019-LA]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 700(E), dated the 20th October, 2004, subsequently amended vide S.O. 2171(E), dated the 24th December, 2007, and vide G.S.R. 634(E), dated the 28th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.04 11:08:19 +05'30'